

**आय-कर**

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान “वेतन” से भिन्न ऐसी आय से, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 3 आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (13क) “कारबार न्यास” को परिभाषित करता है, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन एक अवसंरचना विनिधान न्यास के रूप में या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा न्यास अभिप्रेत है, जिसकी इकाइयों का पूर्वाक्त विनियमों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कारबार न्यास को सूचीबद्ध करने संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित दीर्घ पंक्ति का लोप किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (42क) “अल्पकालीन पूंजी आस्ति” पद को परिभाषित करता है जिससे उसके अंतरण की तारीख से ठीक पहले छत्तीस मास से अनधिक के लिए निर्धारित धारा धारित पूंजी आस्ति अभिप्रेत है। और, उक्त खंड का स्पष्टीकरण वह अवधि अवधारित करने का उपबंध करता है जिसके लिए निर्धारित धारा पूंजी आस्ति धारित की जाती है।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) को संशोधित करके उसमें उपखंड (जज) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 49 की उपधारा (2कछ) में निर्दिष्ट पृथककृत पोर्टफोलियो की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके दौरान मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनिट या यूनिटों को निर्धारित धारा धारित किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में निवास से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होगा। उसके उपखंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति उस वर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाएगा जब वह उसके पूर्ववर्ती चार वर्षों के भीतर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है। उक्त स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (ख) में यह उपबंधित है कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत का नागरिक है, या धारा 115ग के खंड (ड) के स्पष्टीकरण के अर्थ में भारतीय उद्भव का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर

रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में भारत में आता है, उपखंड (ग) के उपबंध उस वर्ष के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, मानो उसमें आने वाले “साठ दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ बयासी दिन” शब्द रखे गए हों।

उक्त स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे “एक सौ बयासी दिन” शब्दों के स्थान पर, “एक सौ बीस दिन” शब्द रखे जा सकें।

उक्त धारा में उसके खंड (1) के पश्चात् एक खंड (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक है, किसी भी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा, यदि वह अधिवास या निवास या उसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के आधार पर किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है।

उक्त धारा का खंड (6) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करता है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं है”। इसके उपखंड (क) में यह उपबंधित है कि यदि ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति है, तो वह भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं” होगा, यदि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो। उसके उपखंड (ख) में हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता की दशा में, समान उपबंध अंतर्विष्ट है।

उक्त खंड (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि किसी व्यक्ति या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में “मामूली तौर पर निवासी नहीं है” तब कही जाएगी, जब वह, यथास्थिति, व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के बारे में यह बात कि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (i) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करता है जिनमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय भारत में कराधेय है।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 1 का खंड (क) यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी कारबार की दशा में, जिसकी सभी संक्रियाएं भारत में नहीं की जाती हैं, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली इस खंड के अधीन समझी गई कारबार की आय, ऐसी आय का उतना भाग होगी, जितना भारत से बाहर की गई संक्रियाओं से युक्तियुक्त रूप से हो सकने वाली है।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे कारबार को लागू नहीं होंगे, जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण भारत में कारबारी संपर्क है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2क, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट करता है कि भारत में अनिवासी “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” भारत में “कारबारी संपर्क” गठित करेगा।

उक्त स्पष्टीकरण का 1 अप्रैल, 2021 से लोप करने का प्रस्ताव है और वह तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए लोप किया जाएगा।

एक नया स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में “कारबारी संपर्क” गठित करेगा और इस प्रयोजन के लिए “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” का निम्नलिखित अभिप्राय होगा,—

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि, ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक हैं, जो विहित की जाए ; या

(ख) कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या भारत में उपयोगिताओं की ऐसी संख्या के साथ अन्योन्यक्रिया में लगना, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव किया जाता है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” गठित करेंगे, चाहे,—

(i) ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है, अथवा नहीं ; या

(ii) अनिवासी के पास भारत में कोई निवास-स्थान या कारबार का स्थान है अथवा नहीं ; या

(iii) अनिवासी भारत में सेवाएं प्रदान करता है अथवा नहीं।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि केवल ऐसी आय का उतना भाग जितना उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुआ माना जा सकता है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

एक नया स्पष्टीकरण 3क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि भारत में की गई संक्रियाओं से हुई मानी जा सकने वाली आय, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट, निम्नलिखित आय सम्मिलित होगी,—

(i) ऐसे विज्ञापन से जिसका लक्ष्य ऐसा ग्राहक है जो भारत में निवास करता है या ऐसा ग्राहक है जिसकी भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते के माध्यम से विज्ञापन तक पहुंच है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवास करता है या जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का विक्रय ; और

(iii) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए माल और सेवाओं का विक्रय।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3क में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध, उक्त स्पष्टीकरण 2क में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुई मानी जा सकने वाली आय को भी लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 5 यह उपबंध करता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेरर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उसे शेरर या

हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। उक्त स्पष्टीकरण का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि इसके उपबंध किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनिमय, 2014 के अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें उपबंधित छूट सेबी (एफपीआई) विनिमय, 2014 के निरसन से पूर्व ऐसे विनिधानों को लागू होती रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनिमय, 2019 के अधीन प्रवर्ग 1 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में अनिवासी द्वारा धारित आस्ति या किसी पूंजी आस्ति को लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vi) में स्वामिस्व के रूप में कतिपय आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझा जाएगा। उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) में “स्वामिस्व” पद को परिभाषित किया गया है, जिससे किसी प्रतिलिप्यधिकार, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए फिल्म या वीडियो टैप अथवा रेडियो प्रसारण से संबंधित उपयोग के लिए टैप दी है, के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) किंतु, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है, अभिप्रेत है।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल को स्वामित्व की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में किसी प्राप्त विनिधान निधि के होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में उपबंधित है।

उक्त उपधारा के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा निधि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संकलित सहभागिता या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उक्त खंड (ग) को एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक किसी ऐसी रकम की, जो निधि के प्रचालन के पहले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त निधि प्रबंधक द्वारा किया गया अभिदाय है, निधि में संकलित सहभागिता या विनिधान की संगणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

उक्त उपधारा के खंड (ज) में यह उपबंधित है कि समग्र निधि का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगा। उक्त खंड के पहले परंतुक में यह और उपबंधित है कि यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से छह मास

की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी।

उक्त उपधारा के उक्त खंड (ज) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि से इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से बारह मास की अवधि के भीतर समग्र एक अरब रुपए को बनाए रखने की शर्त पूरी करने की अपेक्षा होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (23ग) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में, उस दशा में, जहां ऐसी आय सुसंगत उपबंधों के अनुसार कतिपय प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजित या संचयित की जाती है, छूट के लिए विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप और रीति में आवेदन किया जाएगा।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को तब तक छूट उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि वह निम्नलिखित समय के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में अनुमोदन मंजूर करने के लिए आवेदन नहीं करती है, जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक [जैसा वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान था] के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रभावी होता है, तीन मास के भीतर; जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और उक्त अनुमोदन की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व; जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां अनंतिम अनुमोदन के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है।

उक्त धारा का खंड (23ग) का दूसरा परंतुक विहित प्राधिकारी द्वारा उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व उसके द्वारा जांच किए जाने के लिए उपबंध करता है।

दूसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्रस्तावित पहले परंतुक के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, वहां पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा; जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेजों या जानकारी की मांग कर सकेगा या ऐसी जांच कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता; और उसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में, जो

उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए सारवान हैं; और उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्, पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा; यदि उसका समाधान नहीं हो पाता है तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करने और अपने अनुमोदन को करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा; जहां उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, अनंतिम रूप से उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेश की प्रति ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को भेजेगा।

खंड (23ग) का आठवां परंतुक अन्य बातों के साथ, उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रभावी होगी।

आठवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के अधीन प्रदान किया गया कोई अनुमोदन ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में लागू होगा, जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें उसे पूर्व में अनुमोदन प्रदान किया गया था; जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया था; किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से, तुरंत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है।

उक्त खंड (23ग) का नौवां परंतुक अन्य बातों के साथ, उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके भीतर उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाएगी या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा या आवेदन को नामंजूर करते हुए इस निमित्त कोई आदेश पारित किया जाएगा।

नौवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन कोई आदेश, क्रमशः छह मास, तीन मास और एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा, जिसकी संगणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त खंड के दसवें परंतुक में यह उपबंध है कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय, उक्त खंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसा न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापरीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगी

और उस तारीख तक संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड (23ग) का सोलहवां परंतुक अन्य बातों के साथ उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके भीतर किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा पहले परंतुक के अधीन छूट के लिए आवेदन किया जाना है।

उक्त परंतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

विद्यमान अठारहवें परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्यमान पहले परंतुक के अधीन किए गए ऐसे सभी आवेदन, जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित हैं और जिनके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, को उस तारीख को पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदनों के रूप में समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा का खंड (23घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पारस्परिक निधि की आय या ऐसी अन्य पारस्परिक निधियों की आय को छूट प्रदान करता है। यह छूट वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंधों से संबंधित अध्याय 12ड के उपबंधों के अधीन है। उक्त खंड में उक्त अध्याय के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे उस अध्याय के अधीन परस्पर निधियों से अतिरिक्त कर का संदाय करना अपेक्षित नहीं हो।

उक्त धारा का खंड (23चग) कारबार न्यास की कतिपय आय को छूट प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से आय भी है। उक्त खंड के अधीन किसी विशेष प्रयोजन यान से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त या प्राप्य सभी लाभांश को छूट प्रदान करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा का खंड (23चघ), कारबार न्यास द्वारा किसी यूनिट धारक को वितरित आय, जिसमें ब्याज और किराया संबंधी आय सम्मिलित नहीं है, को छूट प्रदान करता है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी यूनिट धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त लाभांश आय को ऐसी छूट से अपवर्जित किया जा सके।

उक्त धारा में एक नया खंड (23चड) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान, चाहे वह ऋण या साम्या के रूप में हो, से उद्भूत होने वाले लाभांश, हित या दीर्घकालिक पूंजी अभिलामों की प्रकृति की विनिर्दिष्ट व्यक्ति की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके, यदि विनिधान,—

(i) 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले किया गया है ;

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित किया गया है ; और

(iii) ऐसी कंपनी या उद्यम में किया गया है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने या उसे प्रचालित करने तथा उसे बनाए रखने का कारबार, या उसे विकसित करने, या उसे प्रचालित करने या बनाए रखने का कारबार या ऐसा अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चला रहा है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” को परिभाषित करने के लिए उक्त खंड में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह अर्थ लगाया जा सके कि,—

(क) आबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी, जो—

(i) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है ; और

(ii) जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि में से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान करता है ;

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

उक्त धारा के खंड (45) उक्त खंड का लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध है कि संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत/सेवानिवृत्त अध्यक्ष या सदस्यों को, संदत्त किए जाने वाले ऐसे भत्तों और परिलब्धियों, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, को आय-कर से छूट प्राप्त होंगी।

उक्त धारा का खंड (34) धारा 115खखघक के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य लाभांश के रूप में किसी आय के सिवाय, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय को छूट प्रदान करता है। उक्त खंड को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होंगे।

उक्त धारा का खंड (35) पारस्परिक निधि की यूनिटों, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों और विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय को छूट प्रदान करता है। इस खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् यूनिटों के संबंध में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा में एक नया खंड (48ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे इस निमित्त केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसकी भंडारण प्रसुविधा में भंडारित कच्चे तेल की पुनःपूर्ति हेतु ठहराव के परिणामस्वरूप भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम निक्षेप लिमिटेड को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है, का उपबंध किया जा सके।

इस नए अंतःस्थापित खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ठहराव को लागू नहीं होगी, यदि भंडारण प्रसुविधा में कच्चे तेल की पुनःपूर्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर, जिसमें कच्चा तेल पहली बार भंडारण प्रसुविधा से हटाया गया था, नहीं की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र, आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभों और अभिलामों की कटौती, जो किसी उपक्रम द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उन वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हो तो निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती द्वारा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट, आय-कर विवरणी के साथ, यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके

पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारित धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 9 आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जो पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उस धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां धारा 10 [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] में अंतर्विष्ट कोई बात न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) से “धारा 12कक और धारा 12कख” तक के प्रतिनिर्देश को प्रतिस्थापित किया जा सके।

उक्त उपधारा में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से जिसको, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन न्यास या संस्था अनुमोदित की जाती है या खंड (46) के अधीन अधिसूचित की जाती है या उस तारीख को जिसको यह परंतुक प्रवृत्त होता है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवर्तित नहीं होगा।

उक्त उपधारा में एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रस्तावित प्रथम परंतुक के अधीन प्रवर्तित नहीं हुआ है, प्रस्तावित धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तित कराने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए आवेदन कर सकेगा कि ऐसा करने पर, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था को खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन या धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचना, उस तारीख से, जिसको उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तित हुआ है, प्रभावहीन हो जाएगी और तत्पश्चात्, वह संबंधित खंड के अधीन छूट के लिए हकदार नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) ऐसी शर्तों के लिए उपबंध करती है, जिन्हें किसी न्यास या संस्था द्वारा पूरा करना है जिनके अधीन रहते हुए उसको धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट उपलब्ध है।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (कग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, उक्त उपधारा के खंड (क), खंड (कक) और खंड (कख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस शर्त के साथ उपबंध किया जा सके कि आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में किए गए आवेदन पर ऐसे न्यास या संस्था प्रस्तावित धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, तो; जहां न्यास या संस्था को धारा 12क [जैसी कि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको

यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर; जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व; जहां न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण धारा 11 की उपधारा (7) के परंतुक के कारण प्रवर्तन में नहीं रह गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तन में लाने की ईप्सा की गई है, के प्रारंभ से कम से कम छह मास पूर्व; जहां न्यास या संस्था ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार अंगीकार किया है या उनमें उपांतरण किए हैं, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, वहां उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर; किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व।

ये संशोधन जून, 2020 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिणामिक के संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पहले), से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा कराए और उस तारीख तक, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यदि 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् कोई आवेदन किया गया है, तो ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आवेदन किया गया है, को ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू होंगे।

उक्त उपधारा में पहला परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था को उस समय लागू होंगे, जब उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (कग) के उपखंड (i), उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे न्यास या संस्था को पूर्व में रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था; उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (कग) के उपखंड (iii), ऐसे निर्धारण वर्षों के प्रथम वर्ष से, जिसके लिए वह अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, के अधीन आवेदन किया गया है,

उसकी उपधारा (2) के विद्यमान पहले और तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 12कख के प्रति निर्देश किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, न्यास या संस्था को, जहां आवेदन, उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन पांच पूर्ववर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत

करते हुए किया गया है ; जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया है,—

(i) वहां ऐसे न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मांगेगा, या स्वयं के समाधान हेतु ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे,—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता, और

(आ) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सारवान हों, और

(ii) उपखंड (i) के मद (अ) के अधीन न्यास या संस्था के उद्देश्यों तथा उनके क्रियाकलापों की वास्तविकता, और मद (ख) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के पश्चात्—

(अ) पूर्व पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा ;

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे न्यास या संस्था का आवेदन नामंजूर करते हुए और उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा ;

(इ) जहां उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन आवेदन किया जाता है, उस निर्धारण वर्ष से जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, तीन, वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन जिन पर धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व पारित नहीं किया गया है, जिसको यह धारा प्रवृत्त हुई है, उस तारीख को यह आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से संगणित, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पारित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप, यथास्थिति वास्तविक नहीं है या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, तो वह सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए, लिखित में आदेश पारित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात्, यह देखने में आया है कि,—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसे रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करते हुए धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ; या

(ख) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात अवधारित करते हुए में यह कि ऐसा अननुपालन हुआ है,

या तो विवादग्रस्त नहीं रहा है या अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, तो, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 13 “वेतन”, “परिलब्धि” और “वेतन के बदले में लाभ” की परिभाषा से संबंधित धारा 17 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (vii) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की बाबत नियोजक द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में जमा की गई अभिदाय की किसी रकम को उस सीमा तक परिलब्धि के रूप में माना जाएगा, जहां तक वह एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त खंड के उपखंड (vii) को प्रतिस्थापित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा किसी निर्धारिती के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि ; धारा 80गगघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम ; और किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किए गए अभिदाय की किसी रकम या रकमों के कुल योग को उस सीमा तक परिलब्धि माना जाएगा जहां तक वह किसी पूर्ववर्ष में सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक है।

उक्त खंड (2) में एक नया उपखंड (vii) अंतःस्थापित करने का यह और प्रस्ताव जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के अतिशेष में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम को जमा करके हुई वार्षिक अनुवृद्धि को भी उस सीमा तक परिलब्धि समझा जाएगा, जहां तक वह उक्त नए उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे अभिदाय से संबद्ध है, जिसे कुल आय में सम्मिलित किया गया है और उसे विहित रीति में संगणित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम की धारा 32कख का संशोधन करने के लिए है, विनिधान निक्षेप लेखा से संबंधित है।

उक्त धारा 5 की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती, निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 32कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया जाता है उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की जाती है और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 33कख का संशोधन करने के लिए है, जो चाय विकास खाते, कॉफी विकास खाते और रबड़ विकास खाते से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) भारत में चाय या कॉफी या रबड़ उगाने और

विनिर्मित करने का कारबार कर रहे किसी निर्धारिती की कटौती के लिए उपबंध करता है, जो पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास के अवसान के पूर्व या अपनी आय की विवरणी देने की नियत तारीख के पूर्व, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित या बनाई गई किसी स्कीम के अधीन निर्धारिती द्वारा रखे गए किसी खाते में कोई रकम जमा की है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है उससे सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या व्यवसाय के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में वहां परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 33कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है उससे सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या व्यवसाय के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम की धारा 33कखक का संशोधन करने के लिए है, जो स्थल पुनःस्थापन निधि से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती ने, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा बनाए रखे गए विशेष खाते में कोई रकम जमा की है या वह, निर्धारिती द्वारा पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विरचित स्कीम के अनुसार या उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खोले गए स्थल पुनःस्थापन खाते में कोई रकम जमा करता है, वहां निर्धारिती को, उक्त धारा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार जमा की गई कुल रकम या "कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित ऐसे लाभों के बीस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा क ख क की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, उस तारीख तक (अर्थात्, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्ययों, प्रगणित करती है जिनके संबंध में कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी। उक्त उपधारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि किसी ऐसे अनुसंधान संगम को, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त की गई किसी राशि की कटौती करना है, उक्त उपधारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त किसी राशि और उक्त उपधारा का खंड (iii) के नीचे स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि किसी अनुसंधान संगम, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान के अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान करना है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जो समाज विज्ञान के अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त किसी राशि के लिए कटौती, उक्त खंड का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निर्धारिती, वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था को, जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है, संदत्त किसी धनराशि की कटौती का, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के सदाय के पश्चात् खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी को संदत्त किसी राशि के संबंध में निर्धारिती को कटौती से इंकार नहीं किया जाएगा, जो ऐसी राशि के सदाय के पश्चात् केवल इस आधार पर हकदार है कि कंपनी को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

उक्त उपधारा (1) में एक नया पांचवां परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंध में खंड (ii) या खंड (iii) अथवा खंड (ii) के अधीन कंपनी के संबंध में उस तारीख, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुई है, को या उसके पूर्व जारी प्रत्येक अधिसूचना वापस ली गई समझी जाएगी, यदि खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (ii) के अधीन कंपनी उस तारीख से, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, तीन मास के भीतर विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में सूचित नहीं करता है तथा ऐसी सूचना के अधीन रहते हुए अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी :

उक्त उपधारा (1) में एक नया छठा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ii) या खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना उस तारीख के पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2020 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, किसी भी एक समय में पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जो अधिसूचना में विहित किया जाए।

उक्त उपधारा (1) के पश्चात् उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (ii) के अधीन कंपनी, उक्त उपधारा के संबंधित खंड के अधीन कटौती का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा कंपनी,—

(क) ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, तैयार नहीं करती है और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत

व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उनका परिदान नहीं करता है या करवाता है, और वह इस धारा के अधीन किसी भूल का सुधार करने या उसमें जोड़ने के लिए या हटाने के लिए कोई संशोधन विवरण ऐसे प्ररूप में फाइल कर सकेगा या परिदत्त की गई विवरणी में दी गई जानकारी को अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए,

(ख) ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए तथा राशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाएगा, दाता को एक प्रमाणपत्र नहीं भेजता है।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया है, के दौरान किसी विनिर्दिष्ट कारबार पर उपगत पूंजी व्यय की सौ प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह अभिव्यक्त किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा पूंजी व्यय उपगत किया गया है, के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में उपगत पूंजी व्यय के संबंध में ऐसी कटौती का लाभ लेने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि व्यय, जिस पर उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, पर किसी पूर्व वर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया है और इस धारा के अधीन उसे अनुज्ञात किया गया है, तो निर्धारिती को किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय प्रारंभिक व्ययों पर अपाकरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती, जो कोई भारतीय कंपनी या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है और जो भारत में निवासी है, वहां उसे उसके कारबार या उपक्रम के विस्तारण के संबंध में या किसी विद्यमान कारबार की नई यूनिट की स्थापना के संबंध में उसके कारबार के प्रारंभ से पूर्व उपगत कतिपय विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यथास्थिति, कारबार आरंभ होता है या उपक्रम का ऐसा विस्तारण या नई यूनिट की स्थापना की जाती है, आरंभ करते हुए, दस उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों की अवधि के दौरान कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे कतिपय व्ययों को विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत किया गया है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ

ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं प्रस्तुत नहीं करता है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती को उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है निर्धारिती के कारबार या वृत्ति से संबंधित, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात्, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के, ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा संपरीक्षित रिपोर्ट उस तारीख तक जो विहित की जाए प्रस्तुत नहीं करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम की धारा 35ड का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय खनिजों के लिए पूर्वक्षण आदि पर व्यय के लिए कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती जो भारतीय कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में निवास करता है, और खनिज के लिए, पूर्वक्षण से संबंधित संक्रियाओं में या उस खनिज को निकालने या उसके उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगा हुआ है, और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात् उपगत करता है, वहां उस निर्धारिती को सुसंगत पूर्ववर्षों में से हर एक के लिए ऐसे व्यय की रकम के दशमांश के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत नहीं करता है।

उक्त धारा की उपधारा (6) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 35ड की उपधारा (1) के अधीन की गई कटौती निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती के उस वर्ष या वर्षों के लिए लेखों, जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखापरीक्षा नहीं कर ली जाती है (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पूर्व) और ऐसी लेखापरीक्षा की उस तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार और वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “मान्यताप्राप्त संगम” शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” शब्द रखे जा सकें “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” पद की परिभाषा



से संबंधित स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 22 कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (क) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार करता है, यदि ऐसे कारबार में उसके, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक है तो वह अपने उस पूर्ववर्ष के लेखाओं को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व किसी लेखापाल से लेखापरीक्षा कराएगा और उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों, जो विहित की जाएं।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति की दशा में, जिसको नकद में प्राप्त सभी रकमों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान विक्रय के लिए प्राप्त रकम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, उक्त रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक है ; और किए गए सभी संदायों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान नकद में उपगत व्यय की रकम, उक्त संदाय के पांच प्रतिशत से अनधिक है, यह खंड ऐसे प्रभावी होगा, मानो, "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच करोड़ रुपए" शब्द रख दिए गए थे।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ii) किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के निर्धारिती के लेखाओं के संबंध में "विनिर्दिष्ट तारीख" को परिभाषित करता है, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख अभिप्रेत है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट तारीख से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक मास पूर्व अभिप्रेत होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम की धारा 44घक का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व, आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बही तथा अन्य दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगा और आय की विवरणी के साथ ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) लेखाओं की संपरीक्षा कराएगा और उस तारीख तक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ ऐसी पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत के लिए उपबंध करती है, जो कतिपय परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए उपधारा (2कख) और उपधारा (2कज) अंतःस्थापित की जा सके कि किसी पृथक्कृत पोर्टफोलियो में किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जो निर्धारिती द्वारा उसके सकल पोर्टफोलियो में धारित किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत के समान अनुपात में है, जैसा कि पोर्टफोलियो के पृथक्करण से तुरंत पूर्व पृथक्कृत पोर्टफोलियो को अंतरित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य का अनुपात सकल पोर्टफोलियो के शुद्ध आस्ति मूल्य के साथ है ; तथा यह और प्रस्तावित है कि मुख्य पोर्टफोलियो में यूनिट धारक द्वारा धारित मूल यूनिटों के अर्जन की लागत को पृथक्कृत पोर्टफोलियो की यूनिटों से इस प्रकार प्राप्त रकम द्वारा घटा दिया जाएगा।

उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस निमित्त जारी परिपत्र में यथाउपबंधित "मुख्य पोर्टफोलियो", "पृथक्कृत पोर्टफोलियो" और "सकल पोर्टफोलियो" पदों की परिभाषाओं के प्रतिनिर्देश करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम की धारा 50ख का संशोधन करने के लिए है, जो मंदी विक्रय की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि पूर्ववर्ष में किए गए मंदी विक्रय से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा और उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण हुआ है, आय समझा जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा

139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 27 कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का तीसरा परंतुक उपबंध करता है कि जहां स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है, जो "समायोजित", सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत के अर्थ" से संबंधित है।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2001 से पहले अर्जित दीर्घकालीन पूंजी आस्ति की लागत को निर्धारित के विकल्प पर, उस तारीख को निर्धारित के अर्जन की लागत या आस्ति का उचित बाजार मूल्य होने के रूप में लिया जाता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त उपखंडों के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल 2001 को ऐसी आस्ति के स्टॉप शुल्क मूल्य से वहां अधिक नहीं होगा जहां कहीं ऐसा स्टॉप शुल्क मूल्य उपलब्ध है। यह और प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए "स्टॉप शुल्क मूल्य" को परिभाषित किया जाए, जिससे किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टॉप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसी आय के स्रोतों का उपबंध है, जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी होगी।

उक्त उपधारा के खंड (v) में यह उपबंध है कि जहां पच्चीस हजार रुपए से अधिक धनराशि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा 1 सितंबर, 2004 या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, ऐसी समस्त धनराशि आय-कर से प्रभावी होगी। खंड

(vii) के पहले परंतुक के खंड (छ) में यह उपबंध है कि उक्त उपधारा का खंड धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि को लागू नहीं होगा।

उपधारा (2) के खंड (v), खंड (vi), खंड (vii) और खंड (x) में धारा 12कख का निर्देश करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड आय-कर अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि को भी लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) के उपखंड (ख) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य प्रतिफल के पांच प्रतिशत से अधिक है, वहां आधिक्य, यदि यह पचास हजार रुपए से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभावी होगा।

उक्त उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य प्रतिफल के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां आधिक्य, यदि यह पचास हजार रुपए से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभावी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 30 आय से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 57 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का खंड (i) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के सिवाय ऐसे लाभांशों को वसूल करने के प्रयोजन के लिए किसी युक्तियुक्त राशि की कटौती अनुज्ञात करता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश को हटाने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी की यूनिटों के संबंध में आय पर कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और इस धारा के अधीन ऐसी कटौती उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश आय, या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 72कक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रणीत किए जाने और मुजरा से संबंधित है।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ समामेलन हुआ है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक

या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ समामेलन हुआ है ; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों का किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ समामेलन हुआ है,

तब ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नया बैंक या नए बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम को प्रवृत्त किया गया था, यथास्थिति, ऐसी बैंककारी संस्था या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी का मोक या अवक्षयण समझा जाएगा और हानि तथा अवक्षयण के लिए मोक को अग्रणीत किए जाने और मुजरा के संबंध में अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

उक्त धारा में, एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का और प्रस्ताव है जिससे "संचयित हानि", "बैंककारी कंपनी", "बैंककारी संस्था", "तत्स्थानी नया बैंक", "साधारण बीमा कारबार", "सरकारी कंपनी" और "शेष अवक्षयण" पदों को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 80डडक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय गृह संपत्ति के लिए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित है।

अन्य बातों के साथ, पूर्वोक्त धारा 80डडक किसी आवासीय गृह संपत्ति के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत एक लाख पचास हजार तक की कटौती के लिए उपबंध करती है, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि उधार को 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किया गया है। यह इस और शर्त के अध्यधीन है कि आवासीय गृह संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और निर्धारित के स्वामित्व में उधार की मंजूरी की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किए गए उधार पर संदत ब्याज की बाबत उक्त धारा के अधीन कटौती उपलब्ध होगी यदि उधार को उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि यह धारा उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी संस्था या निधि के दान को केवल तभी लागू होती है, जब उसकी स्थापना भारत में किसी पूर्व प्रयोजन के लिए की जाती है और यह कतिपय शर्तों को पूरा करती है।

उक्त उपधारा का खंड (vi) यह उपबंध करता है कि 31 मार्च, 1992 के पश्चात् किए गए संदानों के संबंध में एक शर्त यह है कि तत्समय संस्था या निधि को इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदन किया जाए।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नीचे दिए अनुसार अतिरिक्त शर्तों का उपबंध किया जा सके, अर्थात् :—

(क) संस्था या निधि ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार करती है, जो विहित की जाए और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में परिदत्त करती है या परिदत्त किया जाना और ऐसे समय के भीतर ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी रीति में सत्यापित करती है, कारित करती है और परंतु ये विहित प्राधिकारी को किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए कोई सही किया हुआ विवरण भी परिदत्त कर सकेगा या इस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई वर्धन, लोप कर सकेगा या सूचना को ऐसे प्ररूप में अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो प्राधिकारी द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ; और

(ख) संस्था या निधि दानकर्ता को ऐसी रीति में दान की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

उक्त उपधारा (5) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित रीति में आवेदन करेगा,—

(क) जहां संस्था या निधि को खंड (vi) के अधीन (जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने के पूर्व था) इस परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से तीन मास के भीतर, आवेदन करेगा ;

(ख) जहां संस्था या निधि का अनुमोदन किया जाता है और ऐसे अनुमोदन की अवधि अवसान होने को है, ऐसी अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, आवेदन करेगा ;

(ग) जहां संस्था या निधि का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है, अनंतिम अनुमोदन की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके कार्यकलाप प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आवेदन करेगा ;

(घ) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, आवेदन करेगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्रस्तावित पहले परंतुक के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर लिखित में पारित आदेश की प्रति वहां भेजेगा जहां,—

(क) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(ख) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया जाता है,—

(I) उससे ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जैसा वह निम्नलिखित के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के कार्यकलापों की वास्तविकता ; और  
(आ) उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (v) में अधिकथित सभी शर्तों का पूरा किया जाना ; और

(II) मद (अ) के अधीन कार्यकलापों के वास्तविकता के संबंध में और उपखंड (क) की मद (आ) के अधीन सभी शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को रद्द करते हुए और अपने अनुमोदन का प्रत्यहरण करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(III) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन है, उसे निर्धारण वर्ष, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

ऐसे आदेश की प्रति संस्था या निधि को भेजेगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश ऐसे प्ररूप और ऐसी शीति में क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि, जिसकी गणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के अधीन अनुदत्त अनुमोदन किसी संस्था या निधि को लागू होगा, जहां आवेदन,—

(क) निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे संस्था या निधि को पूर्व में अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है;

(ख) निर्धारण वर्षों, जिनके लिए ऐसी संस्था या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, में से पहले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पश्चात् निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा अनुमोदन किया जाता है।

एक नई धारा 5ड अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन, जिन पर उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन उस तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसको यह उपधारा प्रभावी हुई है, को उस तारीख को उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

एक नया स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि किसी निधि या संस्था, जिसको उपधारा (5) लागू होती है, को किए गए किसी दान के संबंध में कटौती के लिए निर्धारित द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में उसके दावे को उक्त दान के संबंध में संस्था या निधि द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की धारा 80छक का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय संदायों की बाबत कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह घोषित किया जा सके कि निर्धारित द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई आय की विवरणी में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के संबंध में कटौती के लिए उसके दावे को, पाने वाले द्वारा आय-कर प्राधिकारी को या

ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी धनराशि के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई गई जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारित की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न हुए हैं, वहां निर्धारित की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा का उपधारा (7) में यह उपबंध है कि किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस उपक्रम के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारित अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नहीं देता है।

उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती निर्धारित को तभी अनुज्ञेय होगी, जब तक उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उपक्रम के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा की जा चुकी हो और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उस तारीख तक प्रस्तुत कर दी गई हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 36 आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है।

धारा 80झक के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ, पात्र स्टार्ट अप द्वारा पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की निर्धारित के विकल्प पर सात वर्षों में से तीन लगातार वर्षों के लिए कटौती करने का और इसके कारबार का कुल आवर्त उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत, जिसके लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, से पूर्ववर्ती वर्ष में पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, का उपबंध करते हैं।

उपरोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिनियम के अधीन पात्र स्टार्ट अप को कटौती, उस वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें पात्र स्टार्ट अप निगमित किया जाता है, दस वर्ष में से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी तथा इसमें का कुल आवर्त उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए इस धारा, के अधीन कटौती का दावा किया गया है, पात्र स्टार्ट अप के सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 37 धारा 80अखक का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है।

उपधारा (7क), उपधारा (7ख), उपधारा (11ख) और उपधारा (11ग) के पश्चात्तर्वती संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे उसमें उपबंधित विद्यमान वाक्यांश के स्थान पर क्रमशः “ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए देता है” वाक्यांश रखे जा सकें।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तर्वती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 80अखक का संशोधन करने के लिए है, जो गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों में कतिपय शर्तों के अधीन वहनीय गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती का उपबंध है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में यह उपबंध है कि गृह निर्माण परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले अनुमोदित किया जाएगा।

उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे वहनीय गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की कटौती को ऐसी परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जा सके, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले अनुमोदित की गई हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्तर्वती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम की धारा 80अखक का संशोधन करने के लिए है, जो नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती, जिसको धारा 44कख लागू होती है, की सकल कुल आय में, कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, ऐसे कारबार के दौरान उपगत अतिरिक्त कर्मचारी की लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है।

उक्त खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल की रिपोर्ट को धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पूर्व) से पूर्व रिपोर्ट में ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत नहीं कर देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तर्वती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 40 कतिपय अंतःनिगम लाभार्थों से संबंधित एक नई धारा 80ड अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी देशी कंपनी की सकल कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में, किसी अन्य देशी कंपनी से लाभार्थों के रूप में प्राप्त हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए, किसी अन्य देशी कंपनी से लाभार्थों के रूप में प्राप्त उतनी आय की रकम के बराबर कर की कटौती की जाएगी, जो पहली उल्लिखित देशी कंपनी द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व वितरित लाभार्थों की रकम से अधिक नहीं है।

उक्त नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभार्थों की रकम के संबंध में, किसी पूर्ववर्ष में एक उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

“सम्यक् तारीख” पद को स्पष्ट करने का और प्रस्ताव है जिससे उससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्तर्वती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार भारत से बाहर किसी देश की सरकार या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए करार कर सकेगी।

उक्त खंड के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है), उक्त करार करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्तर्वती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम की धारा 90क का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों का अंगीकृत किया जाना से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उसे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

उक्त खंड के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है), उक्त करार के अधीन दोहरे कराधान का परिवर्जन किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्तर्वती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 43 सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92गख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यक्षीन किया जाएगा।

उक्त उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय का अवधारण भी सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यक्षीन किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित को अवधारित करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार कर सकेगा,—

(क) उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत या वह रीति, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें उक्त आय को अवधारित किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सन्निकट कीमत या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को अवधारित करने की रीति में, धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या अंतरणों सहित, जिन्हें किया जाना आवश्यक या समीचीन हो, सम्मिलित हो सकेंगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 92ग या धारा 92गक में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, सन्निकट कीमत का अवधारण, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (9क) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम वर्ष के पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक किसी अवधि के दौरान निम्नलिखित के अवधारण के लिए उपबंध कर सकेगा,—

(क) सन्निकट कीमत या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत को अवधारित किया जाएगा ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसी आय का अवधारण किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है,

और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की सन्निकट कीमत या ऐसे व्यक्ति की आय का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम की धारा 92च का संशोधन करने के लिए है जो असन्निकट कीमत आदि की संगणना से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (iv) में निर्दिष्ट तारीख की परिभाषा का उपबंध है। इसमें यह उपबंधित है कि विनिर्दिष्ट तारीख का वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में “निश्चित तारीख” का है।

उक्त धारा के खंड (iv) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “विनिर्दिष्ट तारीख” से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से पहले एक मास अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम की धारा 94ख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज के रूप में या वैसी ही प्रकृति का कोई व्यय उपगत करता है, जो “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन किसी गैर-निवासी, जो ऐसे उधार लेने वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी उधार के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है वहां ब्याज के शीर्ष के अधीन आय की संगणना में उस सीमा तक, जहां तक उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट हो, वह अधिक ब्याज से उद्भूत होता है, कटौती नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा के पश्चात् एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उधार देने वाले, जो भारत में बैंककारी कारबार में लगा हुआ व्यक्ति है, के द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत्त ब्याज को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 47 आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश” के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) किसी ऐसे अनिवासी की दशा में, जिसकी कुल आय में खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज संबंधी संदाय या उक्त उपधारा के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस समाविष्ट हैं, कर के अवधारण के बारे में उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि किसी अनिवासी से आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उसकी विवरणी देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) में की शर्तों का समाधान कर दिया गया है।

उक्त उपधारा के खंड (क) के अधीन शर्त में यह अपेक्षित है कि किसी अनिवासी की कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज की प्रकृति की आय समाविष्ट होनी चाहिए।

उक्त उपधारा के खंड (क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अनिवासी की कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज के प्रकृति की आय या उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की प्रकृति की आय समाविष्ट होनी चाहिए।

उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन शर्त में यह अपेक्षित है कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों के अनुसार कटौती योग्य कर की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती कर ली गई है।

उक्त उपधारा में यह उपबंध करने के लिए खंड (ख) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि अध्याय 17 के उपबंधों के अधीन कटौती योग्य कर की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से स्रोत पर ऐसी दर पर कटौती कर ली गई है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 48 आय-कर अधिनियम की धारा 115कग का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी करों में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे समस्त लाभांश आय का कराधान किसी अनिवासी पर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम की धारा 115कक का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। “धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश” के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 50 आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 51 आय-कर अधिनियम की धारा 115कक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने हेतु इस शर्त का उपांतरण किया जा सके

कि कंपनी की कुल आय की संगणना, धारा 80जकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी, की बजाय “धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 52 आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख का संशोधन करने के लिए है जो नई विनिर्माणकारी देसी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के उक्त उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने हेतु इस शर्त का उपांतरण किया जा सके कि कंपनी की कुल आय की संगणना, धारा 80जकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न “ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां” शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी, के बजाय “धारा 80जकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि किसी देशी कंपनी द्वारा संदेय आय-कर पन्द्रह प्रतिशत की दर पर होगा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) की शर्तें पूरी कर दी जाती हैं।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट करती हैं, जिन्हें देशी कंपनी द्वारा पन्द्रह प्रतिशत की दर पर कर का पात्र होने हेतु पूरी करने की आवश्यकता होगी।

उक्त उपधारा (2) के खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए “किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन” को विद्युत उत्पादन में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 53, आय-कर अधिनियम में, व्यष्टियों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खकग और कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित धारा और धारा 115खकघ अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 115खकग की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नीचे सारणी में दी गई दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

कुल आय	दर
2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 7,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
7,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
10,00,001 रुपए से 12,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
12,50,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

उक्त उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि जहां व्यक्ति, किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल हो जाता

है, वहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि जहां उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को समाधान में असफलता की दशा में, यह पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के लिए भी अविधिमान्य हो जाएगा और उन वर्षों के लिए अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के उपबंधों के अधीन या खंड (14) के अधीन विहित (उन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं), या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 के खंड (क) या धारा 24 के खंड (ख) द्वारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबतट या धारा 25क की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड उपखंड (ii) या खंड (iiक) या उपखंड खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गग या धारा 57 के खंड (त्क) के अधीन या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80अअकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;

(ii) किसी हानि का,—

(क) जिसे किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अग्रणीत किया गया है या अवक्षयण का, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ;

(ख) जो “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन हुई है, आय के किसी अन्य शीर्ष से,

मुजरा किए बिना, की जाएगी ;

(iii) धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके की जाएगी ; और

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित भत्तों या परिलब्धि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के लिए किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा (3) के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के उपलिखित मूल्य पर किया जाएगा, यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80उक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक ऐसी यूनिट को धारा 80उक के अधीन कटौती, उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए उपलब्ध है।

प्रस्तावित धारा की उक्त उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “यूनिट” पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष

आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तभी लागू होगी, जब ऐसे व्यक्ति द्वारा,—

(i) जिसकी कारबार से आय है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है और एक बार प्रयोग किए जाने पर ऐसा विकल्प पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों को लागू होगा ;

(ii) जिसकी कारबार से कोई आय नहीं है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है :

प्रस्तावित धारा की उक्त उपधारा (5) के परंतुक में यह उपबंध है कि खंड (i) के अधीन विकल्प, यदि किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग कर लिया गया है, तो उस वर्ष से, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, भिन्न किसी पूर्ववर्ष के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और उसके पश्चात्, वह व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए तब के सिवाय कभी पात्र नहीं होगा, जब उस व्यक्ति की कोई कारबार आय नहीं रह जाती है, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा।

प्रस्तावित नई धारा 115खकघ की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय 12 के उपबंधों के अध्याधीन ऐसे किसी व्यक्ति की, जो सहकारी सोसाइटी है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, बाईस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा करने में असफल हो जाता है वहां विकल्प उस पूर्ववर्ष और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उस पूर्ववर्ष और पश्चात्पूर्वी निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 80अअकक के उपबंधों से भिन्न धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) (केवल विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त राशि की बाबत) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती किए बिना ;

(ii) किसी पूर्ववर्ष निर्धारण वर्ष से अग्रणीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके,

की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।



उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के अवलिखित मूल्य में किया जाएगा यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट रखता है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक उक्त धारा के अधीन कटौती उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसी यूनिट को उपलब्ध है।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण में “यूनिट” पद को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ वही होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तभी लागू होगी जब व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले रीति, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, में कर लिया गया है और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि किसी पूर्ववर्ष में एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है, तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में वापस नहीं लिया जा सकता।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 54 आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, भारत में निवासी विनिर्दिष्ट निर्धारिती को प्राप्त हुए दस लाख रुपए से अधिक के लाभांश पर दस प्रतिशत की दर से कराधान का उपबंध है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस धारा को ऐसे लाभांश पर लागू होने तक निर्बंधित किया जा सके, जिसे 31 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व किसी देशी कंपनी या कंपनियों द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) का उपखंड (iii), उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” का उपबंध करता है जिससे धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत हो।

उक्त उपखंड में धारा 12कख के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट निर्धारिती” से 12कख के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 55 आय-कर अधिनियम की धारा 115ग का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (ग), अध्याय 12क के प्रयोजनों के लिए “विनिधान आय” पद को परिभाषित करता है, जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा आस्ति से

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न व्युत्पन्न कोई आय है।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने के लिए है उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “विनिधान आय” को परिभाषित किया जा सके जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा आस्ति से व्युत्पन्न कोई आय है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 56 आय-कर अधिनियम की धारा 115जख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो एक कंपनी है, को 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथासंगणित कुल आय पर संदेय आय-कर उसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी और निर्धारिती द्वारा संदेय कर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर की रकम होगी।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी के साथ या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी की नियत तारीख से पूर्व एक मास) या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने के लिए है जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की

उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पहले) किसी लेखापाल से यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और उस तारीख तक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) पारिणामिक रूप से अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग और धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 58 आय-कर अधिनियम की धारा 115अघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का पारिणामिक प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनी के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा, किसी देशी कंपनी द्वारा लाभों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभ से हों या संचित लाभ से हों, घोषित वितरित या संदत्त किसी रकम पर अतिरिक्त आय-कर के उद्ग्रहण का उपबंध करती है। 1 अप्रैल, 2003 के पश्चात् घोषित, वितरित या संदत्त लाभोंश उक्त धारा के उपबंध के अधीन आता है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले घोषित, वितरित या संदत्त लाभोंश उक्त धारा के अधीन आएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 60 आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित किसी आय पर अतिरिक्त आय-कर के उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि केवल 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले वितरित आय ही इस धारा के उपबंधों हैं के अधीन आएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 61 आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था किसी पूर्ववर्ष में किसी ऐसे रूप में संपरिवर्तित हो गई है, जो धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं है ; किसी ऐसे अस्तित्व, जो कोई न्यास या संस्था है, से भिन्न किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो गई है जिसके उद्देश्य उसके समान हैं और वह धारा 12कक या धारा 12कख के

अधीन रजिस्ट्रीकृत है ; या जो विघटन पर धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को उस मास के, जिसमें विघटन होता है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर, सभी आस्तियां अंतरित करने में असफल रहती है, विनिर्दिष्ट तारीख को, अनुवर्धित आय पर अधिकतम मार्जिन की दर पर अतिरिक्त आय कर के संदाय का उपबंध करती है।

पूर्वोक्त धारा के अन्य उपबंध, उक्त अतिरिक्त आय-कर के संदाय के संबंध में प्रक्रियाओं के लिए उपबंध करते हैं।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा में, जहां कहीं धारा 12कक का प्रतिनिर्देश है, वहां धारा 12कख का प्रतिनिर्देश किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा 115नघ के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 62 आय-कर अधिनियम की धारा 115पक का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा कतिपय प्रकृति की आय को, कारबार न्यास से अपने यूनिट धारकों को देने के लिए समर्थ बनाती है। उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंधित करती है कि यदि किसी पूर्ववर्ष में, किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) में या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो ऐसी वितरित आय या उसके भाग को ऐसे यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा।

उक्त उपधारा से धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति की वितरित आय को उस यूनिट धारक की आय के रूप में समझा जाएगा और पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 63 आय-कर अधिनियम की धारा 115फब का संशोधन करने के लिए है जो लेखाओं का रखा जाना और लेखा परीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए पात्र होने हेतु पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध करती है।

उक्त धारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि इसकी एक शर्त यह है कि कंपनी उस पूर्ववर्ष की आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में लेखापाल की ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी, विहित प्ररूप में, लेखापाल की रिपोर्ट ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पहले) देगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 64 नई धारा 119क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे बोर्ड को, करदाता के चार्टर को अंगीकृत और घोषित करने के लिए और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे, सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 65 आय-कर अधिनियम की धारा 133क के संशोधन करने के लिए है जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का आय-कर प्राधिकारी यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उस दशा में जहां सूचना ऐसे प्राधिकारी से जो विहित किया जाए, प्राप्त की गई है वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति का कोई आय-कर प्राधिकारी, उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी अन्य दशा में, निदेशक या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना, निदेशक या आयुक्त की श्रेणी से नीचे का कोई आय-कर प्राधिकारी यथास्थिति, उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 का खंड (क) कतिपय व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट फर्म का कार्यरत भागीदार भी है, के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर का उपबंध करती है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपखंड (iii) "कार्यरत" शब्द का लोप किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि आय की ऐसी विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 31 अक्टूबर होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 67 आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, इस बात के लिए उपबंध है कि उक्त अधिनियम की धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी किसके द्वारा सत्यापित की जाएगी।

उक्त धारा के खंड (ग) और खंड (गघ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, उक्त प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 68 स्वतः निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले ही संदत्त किए गए कर की रकम, यदि कोई हो, स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर, या धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की राहत या भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कर की राहत या कर की कटौती, उस धारा में विनिर्दिष्ट भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में धारा 90क के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत, और धारा 115अकक या धारा 115अघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किए गए किसी कर प्रत्यय, को हिसाब में लेने के पश्चात् धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 या धारा 153क, यथास्थिति, धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी

के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती, विवरणी देने में हुए किसी विलंब अथवा विवरणी देने से पूर्व अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस के साथ ऐसे कर का संदाय करने का दायी होगा तथा विवरणी के साथ ऐसे कर, ब्याज और फीस के संदाय का सबूत होगा।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139 अथवा धारा 142 या धारा 148 अथवा धारा 153क या, यथास्थिति, धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती, धारा 191 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर या ब्याज को भी हिसाब में लेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 69 आय जो कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है निर्धारण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे उसमें निर्दिष्ट कतिपय साधनों के द्वारा बृहत्तर दक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही को लाया जा सके।

पूर्वोल्लिखित अधिसूचित स्कीम के अधीन धारा 144 के अधीन निर्धारण करने के लिए उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसमें अधिनियम की धारा 144 के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (3ख) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि कुल आय या हानि के निर्धारण से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2020 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 तक जारी कर सकेगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 70 आय-कर अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि, निर्धारण अधिकारी से पात्र निर्धारिती को यदि वह 1 अक्टूबर, 2009 को या उसके पश्चात् आय या हानि विवरणी में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्ररूप अग्रेषित करने की अपेक्षा करने का उपबंध करता है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि पात्र निर्धारिती को, जहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, वहां विवाद समाधान पैनल को उसका आक्षेप दाखिल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (15) का खंड (ख), उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 'पात्र निर्धारिती' को परिभाषित करता है।

उक्त खंड के उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव भी है, ताकि 'पात्र निर्धारिती' की परिभाषा के अधीन अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 71 आय-कर अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जो मांग की सूचना से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जब कोई कर, ब्याज, शास्ति जुर्माना या कोई अन्य राशि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप संदेय है, तब निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करने वाले ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, मांग की सूचना को निर्धारिती पर तामील करेगा।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां कोई राशि धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती या कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता द्वारा संदेय होने के लिए अवधारित की जाती है, वहां इन उपधाराओं के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध जा सके कि जहां 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले, किसी निर्धारण वर्ष के निर्धारिती की आय, जिसके अंतर्गत धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय भी है और ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या उक्त खंड में यथानिर्दिष्ट श्रमसाध्य साधारण शेर, ऐसे वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, तब मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से; निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेर के विक्रय की तारीख से या निर्धारिती की उस तारीख से, जिसको वह उस नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता है, जिसने उसे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर आबंटित किए थे या अंतरित किए थे, से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर हो, चौदह दिन के भीतर निर्धारिती द्वारा संदेय होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 72 आय-कर अधिनियम की धारा 191 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रत्यक्ष संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसी आय के मामले में, जिसकी बाबत संदाय के समय आय-कर की कटौती करने के लिए उपबंध नहीं किया गया है और किसी अन्य दशा में, जहां अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गई है, निर्धारिती द्वारा आय-कर प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा। उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निर्धारिती जब ऐसी आय या उसके भाग पर उक्त धारा के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आय-कर का संदाय करने में असफल रहता है तब वह व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार में किसी धनराशि की कटौती करने की अपेक्षा है, को व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में समझा जाएगा।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की आय में, धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय और उक्त खंड में वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा भी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर जो उक्त खंड में सदा विनिर्दिष्ट है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, सम्मिलित है, तो निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर आय-कर सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर के विक्रय की तारीख से या उस तारीख से जब निर्धारिती, ऐसे नियोजन, जिससे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेर आबंटित या अंतरित किया है, का कर्मचारी नहीं रह जाता है, चौदह दिन के भीतर संदेय होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 73 आय-कर अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लिए है, जो वेतन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय संदाय के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संदाय के समय उस

वित्तीय वर्ष, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के लिए इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्राक्कलित आय पर कर का संदाय किया जाता है, में प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर की औसत दर पर संदेय रकम पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी परिलब्धि की प्रकृति की ऐसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिसका धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट मौद्रिक संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, उस समय जब उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य था, अपने विकल्प पर, उससे कोई कटौती किए बिना ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग पर कर का संदाय कर सकेगा।

नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कर की कटौती करने या उसका संदाय करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा व्यक्ति, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट स्टार्टअप है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की परिलब्धि के रूप में निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से या निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेर के विक्रय की तारीख से, या उस तारीख से, जिसको निर्धारिती उस व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है, इसमें जो भी पूर्वतम हो, अड़तालीस मास के अवसान के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण पूंजी आबंटित या अंतरित की जाती है, में प्रवृत्त दरों के आधार पर ऐसी आय पर कर की, यथास्थिति, कटौती या उसका संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 74 आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है, जो लाभांश से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि भारतीय कंपनी का या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी, जिसने भारत में लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेरों पर लाभांश भी है) घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं, कोई नकद संदाय करने के पूर्व या किसी लाभांश की बाबत कोई चेक काटने या अधिपत्र देने के पूर्व या धारा 2 के खण्ड (22) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अर्थ में किसी लाभांश का कोई वितरण या संदाय शेर धारक को, जो भारत में निवासी है, करने के पूर्व, ऐसे लाभांश की रकम में से प्रवृत्त दरों के अनुसार आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी भी ढंग द्वारा किए गए संदाय को इस धारा की परिधि क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके और कर की कटौती की दर को प्रवृत्त दरों के स्थान पर दस प्रतिशत की दर के लिए भी उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे किसी ढंग के माध्यम से कंपनी के लाभांश के लिए और उसकी सीमा को दो हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने के लिए उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा के तीसरे परंतुक का पारिणामिक रूप से लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 75 आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है, जो “प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज” से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय किसी निवासी को संदत्त करने का

उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को नकद या चैक अथवा ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति द्वारा जमा करते समय या संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का परंतुक उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (3), उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

उपधारा (3) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग, जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पाने वाले को, संदत्त या जमा किया जाता है या उसके खाते में संदत्त या जमा की जाने की संभाव्यता है, कतिपय सीमा से अधिक नहीं होता है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि जहां संदायकर्ता, बैंककारी कारबार करने में लगी हुई सहकारी सोसाइटी है। सीमा चालीस हजार रुपए होगी यदि पाने वाला वरिष्ठ नागरिक है, तो यह सीमा पचास हजार रुपए है।

उपधारा (3) का खंड (v) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है या ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है, लागू नहीं होगी।

उपधारा (3) का खंड (vii) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) ऐसी आय को लागू नहीं होगी, जो किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है; और बैंककारी कारबार में लगी उपखंड (क) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी, या बैंक से भिन्न सहकारी सोसाइटी में (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधिक निक्षेपों से भिन्न) निक्षेपों की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है।

उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि खंड (v) या खंड (vii) में निर्दिष्ट सहकारी, सोसाइटी उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आय-कर की कटौती के लिए दायी होगी, यदि,—

(क) उस वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण, जो “वरिष्ठ नागरिक” पद के अर्थ लिए उपबंध करता है, उक्त उपधारा के खंड (i) के स्थान पर उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 76 आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है, जो ठेकेदारों को संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में उपबंध है कि ठेकेदार और किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच किसी संविदा के अनुसार कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को (जिसे ठेकेदार कहा गया है) किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से उसका संदाय करने के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी रकम के, जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत, जहां किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा है, वहां दो प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में खंड (i) के उपखंड (उ) के मद (आ) में “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पद की परिभाषा का उपबंध है, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” पद को परिभाषित किया जा सके, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या व्यापार आवर्त है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (iv) का उपखंड (ड) जो “काम” को इस प्रकार परिभाषित करता है कि इसमें किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक से की गई कच्ची सामग्री का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना सम्मिलित है, किंतु ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना, इसके अंतर्गत नहीं है।

उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे “कार्य” में किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक या उसके साथी, जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन निर्धारित के संबंध में रखा गया व्यक्ति है, से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करने को सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके। दीर्घ पंक्ति में, “या ऐसे ग्राहक के सहबद्ध” शब्द अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है, जो कमीशन या दलाली से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर

हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिंदू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 78 आय-कर अधिनियम की धारा 194अ का संशोधन करने के लिए है, जो किराया से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए, दो प्रतिशत ; और किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए, दस प्रतिशत, आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ब्याज जमा या संदत्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या अविभक्त हिंदू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 79, धारा 194अ का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, या किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है ; या स्वामिस्व, या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट कोई राशि, के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट राशि पर आय-कर के रूप में, कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी

निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है, या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट कोई राशि के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, तकनीकी सेवाओं के (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) फीस की दशा में ऐसी राशि के दो प्रतिशत तथा किसी अन्य दशा में, ऐसी राशि के दस प्रतिशत की, के बराबर रकम आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उन वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 80 एक नई धारा 194ट अंतःस्थापित करने के लिए है, जो यूनियों की बाबत आय से संबंधित है।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को,—

- (i) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट परस्पर निधि की यूनियों ; या
- (ii) विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनियों ;
- (iii) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनियों,

के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पानेवाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, किसी ढंग द्वारा उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

यह उपबंध करने के लिए और प्रस्तावित है कि उक्त धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

यह “प्रशासक”, “विनिर्दिष्ट कंपनी” और “विनिर्दिष्ट उपक्रम” पद को परिभाषित करने के लिए भी प्रस्तावित है और यह स्पष्ट करने के लिए है कि जहां उक्त धारा में निर्दिष्ट कोई आय, किसी खाते में जमा की जाती है, जहां वह “उच्चत खाते” के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा, पाने वाले के खाते में ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 81 आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कारबार न्यास के यूनियों से कतिपय आय से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षा करती है कि कोई कारबार न्यास, धारा 115पक में निर्दिष्ट आय, जो धारा 10 के खंड (23घग) के

उपखंड (क) या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है, के किसी निवासी को संदाय पर दस प्रतिशत की दर पर और किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी को क्रमशः पांच प्रतिशत की दर पर आय के वितरण पर कर की कटौती करे।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा से धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके। इस प्रकार, कर की कटौती करने का दायित्व, धारा 115पक में निर्दिष्ट आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) के या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है, के किसी निवासी को और किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी को संदाय पर लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में आय के पांच प्रतिशत की दर और उक्त या खंड के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में आय के दस प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 82 आय-कर अधिनियम की धारा 194उग का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि भारत से बाहर किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों के संबंध में, किसी अनिवासी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी कारबार न्यास द्वारा संदेय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ब्याज पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट ब्याज पर चार प्रतिशत विधारित कर की कटौती की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) वह ब्याज विनिर्दिष्ट करती है, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2020 के पूर्व किसी समय किसी ऋण करार के अधीन, 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व किसी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के निर्गमन के माध्यम से, 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2020 के पूर्व किसी समय किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन के माध्यम से या 1 जुलाई, 2020 के पूर्व रूप में अंकित बंधपत्र के निर्गमन द्वारा लिए गए उधारों पर पांच प्रतिशत विधारित कर के लिए पात्र है।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक किसी ऋण करार के अधीन, दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन और रूप में अंकित बंधपत्रों के निर्गमन के अधीन लिए गए उधारों के विरुद्ध ब्याज संदायों पर पांच प्रतिशत विधारित कर की अवधि का विस्तार किया जा सके।

भारत से बाहर किसी स्रोत से 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, परन्तु 1 जुलाई, 2023 के पूर्व किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या रूप में अंकित बंधपत्र, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, के निर्गमन द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों की बाबत, अनिवासी को देय ब्याज पर चार प्रतिशत की दर से विधारित कर का विस्तार करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) के नए खंड (ix) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।

विधेयक का खंड 83 आय-कर अधिनियम की धारा 194उघ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित बंधपत्र या किसी सरकारी प्रतिभूति में किए गए

विनिधानों की बाबत 1 जुलाई, 2013 का या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2020 से पूर्व संदेय ब्याज पांच प्रतिशत के निम्नतर विधारण कर के लिए पात्र होगा।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विधारण कर की पांच प्रतिशत की रियायती दर,—

(i) किसी भारतीय कंपनी या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अंकित बंधपत्र में किए गए विनिधानों की बाबत 1 जुलाई, 2013 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पहले ;

(ii) नगरपालिका ऋण प्रतिभूति में किए गए विनिधानों की बाबत 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पहले, संदेय ब्याज उपलब्ध होगी।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भारतीय कंपनी के रूप में अंकित बंधपत्र की बाबत ब्याज की दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे “नगरपालिका ऋण प्रतिभूति” पद को परिभाषित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 84 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ण अंतःस्थापित करने के लिए है, जो ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों के संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अध्याय के भाग ख के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी ई-वाणिज्य सहभागी के मालों का विक्रय या द्वारा सेवाओं की पूर्ति को किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के माध्यम से सुकर बनाया जाता है, तो ऐसा ई-वाणिज्यिक प्रचालक किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवाओं या दोनों की रकम को जमा करते समय या किसी अन्य ढंग से ऐसे सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम के एक प्रतिशत की दर पर आय-कर की कटौती करेगा। खंड यह और स्पष्ट करता है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा सुकर बनाए गए मालों के विक्रय या सेवाओं की पूर्ति या दोनों के लिए सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को माल के क्रेता या सेवा के प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई संदाय, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी को जमा या संदत्त की गई रकम समझी जाएगी और इस उपधारा के अधीन आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रय या सेवाओं की कुल रकम में सम्मिलित की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती ऐसे किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में, जो व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पूर्ववर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से नहीं की जाएगी, जहां पिछले वर्ष के दौरान ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम दस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक प्रस्तुत कर दिया है।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि इस अध्याय के भाग ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई संव्यवहार जिसके संबंध में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, या जो उपधारा (2) के अधीन कटौती के लिए दायी नहीं है, इस अध्याय के भाग ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का दायी नहीं होगा। यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का उपबंध किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा विज्ञापन देने के लिए या ऐसे किन्हीं अन्य सेवाओं की पूर्ति के लिए, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्य किसी रकम या कुल रकमों के लिए उक्त उपधारा के लागू

होने को अपवर्जित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा “इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य”, “ई-वाणिज्य प्रचालक”, “ई-वाणिज्य सहभागी” और “सेवा” पदों की परिभाषाओं के लिए भी उपबंध करती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 85 आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि धारा 115ग में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

इस परंतुक का पारिणामिक रूप से लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 86 आय-कर अधिनियम की धारा 196क का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों की बाबत आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की बाबत कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो उक्त उपधारा में निर्दिष्ट “भारतीय यूनिट ट्रस्ट” शब्दों के स्थान पर, “धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी ; और आय को जमा करने योग्य या किसी अन्य ढंग से संदाय के लिए” शब्द प्रति स्थापित करने के लिए है।

इस उपधारा का परंतुक उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है।

उक्त उपधारा के परंतुक को लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 87 आय-कर अधिनियम की धारा 196ग का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों के आय से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत ब्याज या लाभांशों के रूप में अथवा ऐसे बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय अनिवासी को संदेय है, वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में, ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ढंग से उसकी आय या संदाय के जमा को समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा के परंतुक का लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 88 आय-कर अधिनियम की धारा 196घ का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है किसी विदेशी संस्थागत

विनिधानकर्ता को संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अन्य ढंग से आय या संदाय के जमा को समर्थ बनाया जा सके।

उक्त उपधारा के परंतुक का लोप करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 89 आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है, जो निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का यह उपबंध करने के लिए परिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी धनराशियां, जिन पर, धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है, निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र की पात्र होंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 90 आय-कर अधिनियम की धारा 203कक का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर आदि का विवरण दिए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 91 आय-कर अधिनियम की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है, जो “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” के अर्थ से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या भारत में ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना गया कोई व्यक्ति भी है, को इस धारा के अधीन “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” पद की परिभाषा के अर्थात्गत सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 92 आय कर अधिनियम की धारा 206कक का संशोधन करने के लिए है जो स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा है, वहां खंड (iii) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो “बीस प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “पांच प्रतिशत” शब्द रखे गए हों।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 93 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहोली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रेप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि “विक्रेता” से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या निगम या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई



प्राधिकरण या कोई कंपनी या फर्म या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब भी है, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से, कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक उस वित्तीय वर्ष के दौरान है, जिसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1छ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा प्राधिकृत व्यौहारी है, जो किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे क्रेता से, जो भारत के बाहर ऐसी रकम प्रेषित करने वाला व्यक्ति है, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अधीन भारत के बाहर प्रेषण के लिए सात लाख रुपए या उससे अधिक रकम या रकमों का योग प्राप्त करता है ; या जो विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है, किसी भी ढंग से क्रेता के लेखे में क्रेता द्वारा संदेय रकम विकलित करते समय या उक्त क्रेता से ऐसी रकम प्राप्त करते समय, इनसे जो भी पूर्वतर है, क्रेता से आय-कर के रूप में ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम संगृहीत करेगा। उक्त उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का उत्तरदायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है। यह और उपबंध किया गया है कि इस धारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता, केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अधीन, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है।

उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए “प्राधिकृत व्यौहारी” और “विदेशी टूर पैकेज” पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव भी है।

यह उपबंध करने के लिए उपधारा (1ज) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, जो किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (1), उपधारा (1च) या उपधारा (1छ) में आने वाले माल से भिन्न, किसी ऐसे माल के, जिसका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक के मूल्य के या कुल मूल्य के विक्रय के प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से आय-कर के रूप में पचास लाख रुपए से अधिक के विक्रय प्रतिफल की 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा। इसके अतिरिक्त, इस उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है।

“विक्रेता” और “विक्रेता” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन संग्रहण द्वारा कर वसूल करने की शक्ति वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन किसी रकम का संग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार संगृहीत रकम को विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में या बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट संदाय करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (6क) के पहले परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा

(1) और उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, किसी क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है और आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी रकम को हिसाब में लिया है और उस व्यक्ति ने आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है और वह व्यक्ति किसी लेखपाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है।

“विक्रेता” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है और उक्त धारा की उपयोज्यता केवल उपधारा (1) और उपधारा (1च) तक निर्बंधित करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 94 आय-कर अधिनियम की नई धारा 234छ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों के प्रति इस प्रभाव के बिना अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या संस्था या निधि द्वारा, यदि वह उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है, तो वह फीस के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन में लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का संदाय करने का/की दायी होगा/होगी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उक्त फीस की रकम, उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दिष्ट असफलता हुई है और वह उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले संदत्त की जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 95 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील में प्रक्रिया संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (6ख), उपधारा (6ग) और उपधारा (6घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, अन्य बातों के साथ, धारा 250 के अधीन अपील के निपटान के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 96 आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपील से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में किसी निर्धारिती द्वारा, अपील अधिकरण को, ऐसे कतिपय आदेशों के विरुद्ध, जिनसे वह व्यथित है, अपील करने के बारे में उपबंधित है। उक्त धारा के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई ऐसा आदेश धारा 12कक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश होगा।

उक्त खंड में धारा 12कख के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि निर्धारिती, यदि व्यथित व्यक्ति है तो वह धारा 12कख के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख के अंतःस्थापन का पारिणामिक संशोधन है जिसमें किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण की

प्रक्रिया का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 97 आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण के आदेशों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करते हैं कि अपील अधिकरण, निर्धारिती द्वारा उक्त परंतुक के अधीन रोक का आदेश पास नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, फीस, शास्ति या कोई अन्य संदेय राशि को कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह प्रस्ताव किया जा सके कि, अपील प्राधिकरण द्वारा रोक का विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा, जहां ऐसी अपील रोक के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर निपटाई नहीं जाती है जब निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति की रकम या किसी अन्य राशि का कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 98 आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो लेखा बहियों में मिथ्या या लोप की गई प्रविष्टियों के लिए शास्ति से संबंधित है।

एक नई धारा 271ककघ का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति पर शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी, जिससे लेखा बहियां रखने की अपेक्षा है, यदि यह पाया जाता है कि लेखा बहियों में कोई मिथ्या प्रविष्टि है या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप किया गया है, जो उसकी कुल आय की संगणना करने के लिए सुसंगत है। ऐसा व्यक्ति, शास्ति के माध्यम से मिथ्या और लोप की गई प्रविष्टियों के समग्र रकम के समतुल्य राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा। शास्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर भी अधिरोपित की जाएगी, जो लेखा बहियां रखने की अपेक्षा किए जाने वाले व्यक्ति से कोई मिथ्या प्रविष्टि करवाता है या लोप करवाता है या लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि का किया जाना या लोप किया जाना कारित करवाता है। मिथ्या प्रविष्टियों में कूटरचित या मिथ्याकृत दस्तावेजों का उपयोग या उपयोग किए जाने का आशय सम्मिलित है, जैसे कोई मिथ्या बीजक या साधारणतया मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य ; या व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक पूर्ति किए बिना माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में या ऐसे माल की प्राप्ति के लिए जारी बीजक ; या माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, जो विद्यमान नहीं है, से प्राप्त बीजक।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 99 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271ट अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विवरण, आदि दिए जाने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदत्त की जाएगी, यदि वह उपधारा (1क) के खंड (1) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 100 आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (2क), उपधारा (2ख) और उपधारा (2ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही देने के लिए अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 101 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरण से संबंधित है, जो यह उपबंध करता है कि विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एक वार्षिक सूचना विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी सूचना के साथ, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में हो, जो विहित की जाए, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में अपलोड करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 102 आय-कर अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने के लिए है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" की परिभाषा का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो बोर्ड द्वारा नियमों द्वारा विहित किया जाए, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 103 आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसे विषय प्रगणित हैं, जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन नियमों का उपबंध किया जा सकेगा।

उक्त उपधारा (2) के खंड (ख) में वह विषय उपबंधित है, जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियमों का उपबंध किया जा सकेगा, वह रीति, जिसमें और प्रक्रिया, जिसके द्वारा कतिपय दशाओं में आय परिकलित की जाएगी।

उक्त खंड (ख) का, उसमें उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही सक्रियाओं की दशा में आय परिकलित की जाएगी, का उपबंध किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड (ख) का, उसमें उपखंड (iiख) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी अनिवासी के संव्यवहार या क्रियाकलापों की दशा में आय परिकलित की जाएगी, का उपबंध किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 104** आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बीमा कारखार के लाभों और अभिलाभों की संगणना से संबंधित है।

उक्त नियम में यह उपबंध है कि जीवन बीमा से भिन्न बीमा के किसी कारखार के लाभों और अभिलाभों को बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियम या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार लाभ और हानि लेखे में यथा प्रकट कर और विनियोगों से पहले लाभ के रूप में इस शर्त के अधधीन लिया जाएगा कि लाभ और हानि लेखे से विकलित कोई व्यय, जो धारा 30 से धारा 43ख के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, वापस जोड़ दिया जाएगा ; विनिधान की वसूली पर कोई भी अभिलाभ या हानि, यथास्थिति, जोड़ी या घटा दी जाएगी, यदि उसे लाभ और हानि लेखे में जमा या विकलित नहीं किया गया है ; लाभ और हानि लेखे से विकलित विनिधान के मूल्य में कमी के किसी निवेश को वापस जोड़ दिया जाएगा।

उक्त नियम में, एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43ख के अधीन निर्धारिता द्वारा संदेय ऐसी किसी भी राशि को, जिसे उक्त नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ दिया गया है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

### सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 105** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सोना या चांदी के साथ किसी अन्य माल को सम्मिलित किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसे मालों के अनियंत्रित आयात या निर्यात के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाली किसी क्षति के निवारण के लिए ऐसे मालों के आयात या निर्यात को या तो पूर्ण रूप से या सशर्त प्रतिषिद्ध करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 106** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए यह उपबंध करने के लिए है कि अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे मामलों में, जहां अनुदग्रहण, कम उदग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना, 29 मार्च, 2018 के पहले, जो वित्त अधिनियम, 2018 थी के प्रारंभ की तारीख जारी की गई है, वहां ऐसी सूचना धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होती रहेगी जैसे वह उस तारीख से ठीक पहले विद्यमान थी। यह संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख 29 मार्च, 2018 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 107** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ककक का संशोधन करने के लिए है जिससे विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अतिरिक्त, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लिखतों के उपयोग के विरुद्ध या केन्द्रीय सरकार की किसी स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति से शुल्क की वसूली का उपबंध किया जा सके। यह धारा 51ख के अधीन जारी शुल्क प्रत्यय को सम्मिलित करने के लिए, "लिखत" पद की परिधि का विस्तार करने के लिए भी है।

विधेयक का **खंड 108** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 5कक और नई धारा 28घक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे व्यापार करार के अधीन उद्भव नियमों के प्रशासन और भारत सरकार और विदेशी या संघ राज्यक्षेत्र या आर्थिक संघ की सरकार के बीच किए गए व्यापार करार के अधीन आयातित माल पर शुल्क की अधिमानी दर के दावे के संबंध में प्रक्रिया अधिकथित करने का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 109** सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 7क के शीर्ष को "और इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाता" शब्द अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन

करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 110** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 51ख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में इलैक्ट्रानिक शुल्क प्रत्यय खाता के सृजन और इसके उपयोजन की रीति का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 111** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 111 में एक नया खंड (थ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अध्याय 5कक के उपबंधों के उल्लंघन में अनुचित रूप से आयातित माल का अधिहरण का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 112** धारा 156 की उपधारा (2) में एक नया खंड (झ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को अध्याय 5कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समय सीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 113** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को इलैक्ट्रानिक शुल्क खाते को बनाए रखने, उस खाते से संदाय करने, किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा शुल्क के अंतरण की रीति, उससे संबंधित शर्तों, निर्बंधनों और समयसीमा के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

### सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसे रक्षोपायों, जिनके अंतर्गत घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति से निवारित करने के लिए किसी वस्तु के आयातों की बढ़ी हुई मात्रा को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ दर कोटा भी है, को लागू किए जाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 115** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में टैरिफ दरों को दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) नए टैरिफ अनुक्रमों का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से सृजन किया जा सके।

### केंद्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 116** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (114) का संशोधन करने के लिए है, जिससे "संघ राज्यक्षेत्र" की परिभाषा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 'दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 के अनुरूप किया जा सके।

विधेयक का **खंड 117** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम की उपधारा (1) और उपधारा (2क) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेने के लिए पात्रता की शर्तों को सुमेलित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 118** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के प्रयोजनों के लिए अंतर्निहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से नामे नोट के जारी किए जाने की तारीख को असंबद्ध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 119** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 120** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे अधिकारिता

वाले कर प्राधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन के लिए उपबंधित अवधि को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 121** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को, उन सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किए जाएंगे तथा उनके जारी किए जाने के समय और रीति से संबंधित नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 122** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को ऐसा प्रारूप और ऐसी रीति, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 123** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 124** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कतिपय संव्यवहारों के फायदाग्राही को, जिसकी प्रेरणा पर ऐसे संव्यवहार संचालित किए जाते हैं, शास्ति के लिए दायी बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 125** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय को बीजक या बीजक के बिना कपटपूर्ण उपभोग लेने के अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया जा सके और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कतिपय संव्यवहारों के फायदे को प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसे संव्यवहार संचालित किए जाते हैं, दंड के लिए दायी बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 126** इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन ठहरावों से संबंधित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जिससे विद्यमान विधि के अधीन कतिपय उपभोग न किए गए प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए समय-सीमा और रीति विहित की जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 127** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिकारिता वाले आयुक्तों को, धारा 66 की उपधारा (5) और धारा 143 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन भी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 128** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से कठिनाइयों को दूर करने के लिए समयसीमा को तीन वर्ष से विस्तारित कर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 129** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "चाहे वह प्रतिफल के लिए है या नहीं" शब्दों का लोप किया जा सके और उक्त पैरा की प्रविष्टि (क) और प्रविष्टि (ख) के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 130**, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर केंद्रीय कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

यह, 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर छह प्रतिशत की घटी दर से केंद्रीय कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण के लिए और उपबंध करने के लिए है।

यह भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

विधेयक का **खंड 131**, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 708(अ), तारीख 30 सितंबर, 2017, 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है।

#### एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 132**, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय-सीमा को तीन वर्ष से विस्तारित कर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 133**, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर एकीकृत कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

इसमें 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर बारह प्रतिशत की घटी दर से एकीकृत कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण का और उपबंध करने के लिए है।

यह और भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

#### संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 134** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 1 का संशोधन करने के लिए है, जिससे दादरा और नागर हवेली, संघ राज्यक्षेत्र और दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र की प्रास्थिति में परिवर्तन को प्रभावी किया जा सके और उक्त अधिनियम को लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू किया जा सके।

विधेयक का **खंड 135** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिससे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 के अनुरूप "संघ राज्यक्षेत्र" की परिभाषा का संरेखण किया जा सके।

विधेयक का **खंड 136** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 137**, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित है) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर संघ राज्यक्षेत्र कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

यह, 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित है) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिनी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर छह प्रतिशत की घटी दर से संघ राज्यक्षेत्र कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण के लिए और उपबंध करने के लिए है।

यह और भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

#### माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

विधेयक का **खंड 138** माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

### स्वास्थ्य उपकर

विधेयक का खंड 139 चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल पर सीमाशुल्क के रूप में पांच प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य उपकर का उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए है।

### प्रकीर्ण

विधेयक के खंड 140 से खंड 142 भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है जिससे—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) में, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में संव्यवहार की लिखतों के संबंध में कोई स्टॉप शुल्क से छूट का उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके।

(ख) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 73ख, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के अध्याय 2 के भाग कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए भूतलक्षी रूप से निदेश जारी करने और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश, परिपत्र और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करने हेतु अंतःस्थापित की जा सके।

विधेयक का खंड 143 बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताओं से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में कोई व्यक्ति, न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा हो और वह उस सेवा में आय-कर आयुक्त या उसके समतुल्य पद धारण कर चुका हो या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो और वह या उस सेवा में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण कर चुका हो।

उक्त उपधारा में खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए अर्हित है, उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 144 निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य सेवा शर्तों से संबंधित है।

धारा 8 में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे

किरायामुक्त आवास, वाहन सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में आय-कर से छूट देने का उपबंध है, जैसा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अध्याय 4 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए लागू हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे किरायामुक्त आवास, वाहन सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, आय-कर से दी गई छूट को, जैसी वे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए लागू हैं, समाप्त किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का खंड 145 वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिस्थापित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 146 वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 116 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (7) में “कराधेय वस्तु संव्यवहारों” को परिभाषित किया गया है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “माल के विकल्प का विक्रय” और कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों में सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय” को उक्त परिभाषा की परिधि में लाया जा सके।

इसमें उक्त धारा के खंड (8) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे “अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952” पदों के स्थान पर, “प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956” को प्रतिस्थापित किया जा सके और उसमें “जारी अधिसूचना” शब्दों को अंतःस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का खंड 147 उक्त अधिनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लिए है जो वस्तु संव्यवहार कर के प्रभार से संबंधित है।

उक्त धारा की सारणी को एक नई सारणी से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 148 उक्त अधिनियम की धारा 118 का पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जो कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य से संबंधित है।

विधेयक का खंड 149 उक्त अधिनियम की धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन करने के लिए है जिससे “मान्यताप्राप्त संगम” शब्दों के स्थान पर “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

## प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए और बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं।

विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित है। उक्त धारा का प्रस्तावित नया स्पष्टीकरण 2क बोर्ड को, नियमों द्वारा, किन्हीं माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में संव्यवहार से "कुल संदाय" की रकम का उपबंध करने के लिए सशक्त बनाता है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (23ग) का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है जिसमें दूसरे परन्तुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश पारित किया जाना है।

उक्त धारा का प्रस्तावित नया खंड (23चड), केन्द्रीय सरकार को, "ऐसा अन्य कारखार", अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, जिससे किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की उसके द्वारा भारत में किए गए विनिधान से जहां कतिपय शर्तों में, ऋण या इक्विटी के प्ररूप में उद्भूत लाभांश, हित या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध करता है।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख अतःस्थापित करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रस्तावित नई धारा 12कख की उपधारा (3) बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है जिसमें उक्त उपधारा के अधीन आदेश पारित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो "वेतन" "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" से संबंधित है। उक्त धारा का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा ब्याज, लाभांश या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य रकम के रूप में आय की संगणना की रीति का प्रबंधन करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रस्तावित नया पांचवां परंतुक, अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या कंपनी द्वारा विहित प्राधिकारी को सूचना देने के प्ररूप और रीति को नियमों द्वारा विहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई उपधारा (1क) बोर्ड को विवरण तैयार करने, ऐसे विवरण की समय अवधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, ऐसी विवरणियों की विशिष्टियां और उन्हें प्रस्तुत करने के समय का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करती है। बोर्ड को सशक्त करने का यह और प्रस्ताव कि वह उसके संशोधन विवरण के सत्यापन का प्ररूप तथा रीति के लिए नियम बनाए। उक्त उपधारा के अधीन दाता को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र की रीति, विशिष्टियों तथा समय के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक का खंड 21 कारखार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय के सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से आय-कर अधिनियमन की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 2 का प्रस्तावित संशोधन किसी "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है। यह केन्द्रीय सरकार को उसे अधिसूचित करने के लिए भी सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 33 आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को, उक्त विवरण में दी गई सूचना में किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए विवरण, समयावधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, विशिष्टियां और संशोधित विवरण के परिदान का समय, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त कर सके। यह दान के प्रमाणपत्र के लिए रीति, विशिष्टियां और समय के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए भी प्रस्तावित है।

बोर्ड को, विहित प्ररूप और रीति में नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए और प्रस्ताव है, जिसमें प्रस्तावित पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) का उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश पारित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 37 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (7क), उपधारा (7ख), उपधारा (11ख) और उपधारा (11ग) में प्रस्तावित संशोधन, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप और उसकी विशिष्टियां, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए बोर्ड को सशक्त करते हैं।

विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (9क) उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार करने के लिए, शर्तें, प्रक्रिया और रीति विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए, बोर्ड को सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 53,— (i) व्यक्ति और हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खकग का अंतःस्थापन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (iii), नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी रीति में निर्धारित, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, अवक्षयण के दावा द्वारा, यदि कोई हो, व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के आय संगणित रूप में उपबंधित है। (ii) कतिपय रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों के आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की नई धारा 115खकघ के अंतःस्थापन से है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का परंतुक बोर्ड को, आस्तियों के ब्लॉक के अवलिखित मूल्य के तत्स्थानी समायोजन को करने की रीति का नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) बोर्ड को, उक्त धारा के अधीन व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का प्रस्तावित संशोधन नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप का उपबंध करने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए है, जिसमें लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा के परंतुक का प्रस्तावित प्रतिस्थापन, बोर्ड को उक्त धारा के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नियमों द्वारा "ऐसा प्राधिकारी" विहित करने हेतु सशक्त करता है।

उक्त धारा में प्रस्तावित नई उपधारा (1छ), केंद्रीय सरकार को, "किसी अन्य व्यक्ति" को उक्त उपधारा के प्रवर्तन से छूट देने के लिए अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो, से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को, इस प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा कम्पनी और सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में "किसी अन्य व्यक्ति" को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 74** कतिपय बचतपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज द्वारा आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का प्रस्तावित संशोधन, केन्द्रीय सरकार को किसी भारतीय कंपनी के रूप में अंकित मूल्य के बंधपत्र के संबंध में "ब्याज की दर" अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 93** एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को उक्त धारा में अतःस्थापित नई उपधारा (1छ) के उपबंधों को लागू करने से छूट देने के लिए "कोई अन्य व्यक्ति" को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 95** आय-कर अधिनियम की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील में प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (6ख), बोर्ड को, धारा 250 के अधीन अपील के निपटान के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाने के लिए सशक्त करती है और उपधारा (6ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार को स्कीम को प्रभावी करने हेतु अधिसूचना जारी करने और आयुक्त (अपील) द्वारा अपील का निपटारा करने की अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (2क), बोर्ड को, अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बनाने के लिए और स्कीम को प्रभावी करने के लिए उपधारा (2ख) के अधीन अधिसूचना जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु और आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निदेश देने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 101** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरण से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी एक वार्षिक सूचना विवरणी, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी सूचना के साथ, जो विहित की जाए, अपलोड करेगा।

विधेयक का **खंड 102** आय-कर अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने के लिए है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" की परिभाषा का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो बोर्ड को, नियमों द्वारा, "ऐसे किसी अन्य व्यक्ति" का, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी हाजिर हो सकेगा, उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 112** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें केन्द्रीय सरकार को अध्याय 5कक के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समयसीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और ऐसे अन्य विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिससे उसमें एक नया खंड (i) अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 113** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें बोर्ड को, इलैक्ट्रॉनिक शुल्क जमा खाते का अनुक्षण करने, ऐसे खाते से संदाय करने, जमा शुल्क का एक व्यक्ति के खाते से अन्य व्यक्ति के खाते में अंतरण की रीति और उससे संबंधित शर्तों, निर्बंधनों और समयसीमा का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के खंड 8ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (10) केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति, जिसमें सुक्षापायों के लिए दायी वस्तुओं की पहचान की जा सके, वह रीति, जिसमें पहचान की गई वस्तु के संबंध में गंभीर क्षति के कारणों या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों का अवधारण किया जा सकेगा, सुक्षा शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की रीति, वह रीति, जिसमें पहचान की गई वस्तु पर टैरिफ दर कोटा प्रदाय करने वाले देशों के बीच आबंटित किया जा सकेगा, सुक्षापायों और किसी अन्य सुक्षापाय के रूप में टैरिफ दर कोटा कार्यान्वयन करने की रीति और उसके लागू करने की रीति का उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 121** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) सरकार को कर बीजक जारी करने के समय और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 122** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (3) सरकार को उस प्ररूप और रीति का, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 126** भूतलक्षी रूप से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विद्यमान विधि के अधीन कतिपय लाभ न लिए गए प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए समय सीमा और रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करती है।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

# लोक सभा

---

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय  
प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए  
विधेयक

---

[ श्रीमती निर्मला सीतारामन,  
वित्त मंत्री ]